न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉंची।

एस ए आर अपील 30 आर–15/05–06

जैबुन निशा अपीलकर्ता

बनाम

सोमा उरॉव वगैरह प्रतिवादी

आदेश

47/7.04.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 94/86–87 में दिनांक 23.10.1986 को श्री पी. सी. सिंह विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉंची द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का आदेश दिया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
हिन्दपीड़ी	84	723	25 डिसमिल

अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि निम्न न्यायालय में चमरी मियॉं के विरुद्ध वाद दायर किया गया था। इसकी जानकारी वर्तमान अपीलकर्ता को नहीं थी। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी "आत्मकथा" नामक अखबार में नोटिस का प्रकाशन हुआ था। ऐसा कोई अखबार रॉंची से कभी प्रकाशित नहीं हुआ। विवादित जमीन खतियानी रैयत ने निबंधित वसीका द्वारा जमीन्दार को प्रत्यार्पित किया था। जमीन्दार प्रबल प्रताप साहदेव द्वारा 21.5.1940 को निबंधित दस्तावेज से शेख रोजिद को बंदोबस्त किया गया। शेख रोजिद द्वारा 29.5.1940 को जमीन्दार के पक्ष में निबंधित कबुलियत लिखा गया। दिनांक 14.3.1985 को सभी हिस्सेदारों द्वारा मो0 कलीम को निबंधित पावर ऑफ एटार्नी दिया गया जिसने 27.12.1985, 17.2.1993, 4.7.1992 एवं 25.11.1994 को विभिन्न निबंधित बिक्री पट्टों से जमीन अपीलकर्ता को हस्तांतरित किया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया।

प्रतिवादी की ओर से विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता ने वाद को निम्न न्यायालय में प्रतिप्रेषित करने हेतु सहमति व्यक्त किया।

इस वाद के सारे तथ्यों पर गौर करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि निम्न न्यायालय में अपीलकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया था। साथ ही किसी ऐसे अखबार में नोटिस का प्रकाशन किया गया था जिसका प्रकाशन नियमित रुप से नहीं होता था। न्यायहित में अपीलकर्ता की सुनवाई आवश्यक है।

अतः अपील स्वीकृत करते हुए वाद पुनः सुनवाई हेतु निम्न न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता है।

दिनांकः— 7.04.2008

लेखापित वो संशोधित।

ह0/—

अपर समाहर्ता
रॉची।